

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी
5/2019	<p>5/2019 मोहपाल बनाम वृजलाल</p> <p>वकील अपीलार्थी श्री लगेदीश अतीना, अपीलार्थी सं. 1 व 2 स्वयं उपस्थित। वकील रजिस्ट्रार सं. 1 श्री उमाशंकर खण्डलवाल उपस्थित। वकील अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील स्वीकृत करने का निवेदन किया। प्रा-पत्र शा. फा. हो। वकील अपीलार्थी ने अपील को नोट प्रेस करते हुये अपील अपीलार्थी स्वीकृत फरमाये जाने का कथन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलार्थी द्वारा अपील नोट प्रेस किये जाने से अपील अपीलार्थी स्वीकृत की जाती है। पत्रावली फैसल नुमां होकर नम्बर से कम हो। तहत न्यायालय विधिगत अस्तित्व हो। पत्रावली बाद तकमील हाइकोर्ट दफतर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p>दिना तिरिक्त संभागीय धायुक्त बयपुर</p>	<p>नोट प्रेस 5/2019</p> <p>मोहपाल</p>



सेवा में,

अति
न्यायालय, संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर
कैम्प अलवर

अपील संख्या 5 / 2019

वीर

रिवाज श्री
अ. सी. सतीवा
द्वारा प्रस्तुत

दिना
23/4/19

- 1 महिपाल पुत्र स्व० हरिशचन्द्र उम्र 38 वर्ष पौत्र राममूर्ति निवासी ग्राम बीदूका तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर
- 2 गोपीलाल पुत्र राममूर्ति उम्र 64 वर्ष, निवासी ग्राम बीदूका तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर
- 3 जगराम पुत्र राममूर्ति उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम बीदूका तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर
- 4 बलराम पुत्र राममूर्ति उम्र 47 वर्ष, निवासी ग्राम बीदूका तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज०

— अपीलांतान

बनाम,

- 1 बृजलाल पुत्र चेतू उर्फ चेताराम जाति लुहार, उम्र करीब 65 वर्ष, निवासी ग्राम बीदूका तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज०
- बीरबल पुत्र रामस्वरूप
- किशनलाल पुत्र रामस्वरूप
- 4 खिल्लू पुत्र मूलचन्द

— असल रेस्पॉडेन्ट

अतिशय,

अपील

1) पूर्ण कोर्ट केस पर
2) समाप्त नद्वारा
3) निष्पाद बाहर हो
4) कृष्णविम पुत्र
5) के विरुद्ध न हो

4
अतिशय

IS

- 5 सुरेश पुत्र मूलचन्द
- 6 पिण्डी पुत्र मूलचन्द
- 7 मु० पतासी पुत्री मूलचंद
- 8 मु० सन्ता पुत्री मूलचन्द, जातियान लुहार, निवासीयान ग्राम बीदूका तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज०
- 9 रामौतार पुत्र स्व० सुन्दर उम्र 48 वर्ष
- 10 शान्ति पत्नि स्व० सुन्दर उम्र 75 साल,
- 11 अनारो पुत्री स्व० सुन्दर
- 12 रीना पुत्री स्व० सुन्दर
- 13 रामवती पुत्री स्व० सुन्दर
- 14 पार्वती पुत्री स्व० सुन्दर
- 15 मु० मायावती पत्नि स्व० प्यारेलाल
- 16 करनू पुत्र स्व० प्यारेलाल
- 17 रामकिशौर पुत्र स्व० प्यारेलाल
- 18 विनोद पुत्र स्व० प्यारेलाल
- 19 किरना पुत्री स्व० प्यारेलाल
- 20 मीरा पुत्री स्व० प्यारेलाल, जातियान लुहार निवासीयान ग्राम बीदूका तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज०
- 21 सिद्धन्तु ४८ एच.ए. ३६ १६ पौत्र रामगुर्जर
रा. विदूका तह. गोविन्दगढ़ ६ — तरतीबी रेस्पार्डेन्स

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 06.10.2017
न्यायालय तहसीलदार गोविन्दगढ़ जिला अलवर,

गोपीबाल

बाबत रिमाण्ड प्रकरण, कि जिसके द्वारा खिलाफ कानून मौका असल रेस्पॉडेंट संख्या 1 के पक्ष में बुद्धाराम लुहार का दत्तक पुत्र मानते हुए अपीलांटान की खरीदशुदा आराजी का इंतकाल दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है व जिसकी पालना में इंतकाल संख्या 854 दर्ज व स्वीकार किया गया है। बमुराद मंसुखी उक्त निर्णय एवं उसके तहत दर्ज मंजूर किये गये उक्त इन्तकाल।

मान्यवर,

अपील निम्न लिखित प्रस्तुत है :-

- 1 यह कि अपीलांटान के पिता राममूर्ति पुत्र घूड़े जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बीदूका की खरीदशुदा आराजी साबिक खसरा नंबर 339 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा में से 18 बिस्वा व 340 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा में से 18 बिस्वा, जो कि दिनांक 23.10.1970 को अपीलांटान के पिता की खरीदशुदा आराजी थी तथा साबिक खसरा नंबर 339 में से 1/4 हिस्सा अर्थात 9 बिस्वा, 340 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा में से 1/4 हिस्सा अर्थात 9 बिस्वा भी अपीलांटान के पिता की खरीदशुदा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। जिस आराजी का इंतकाल अपीलांट के पक्ष में दर्ज व स्वीकार किए जाने योग्य था। किन्तु तहत न्यायालय द्वारा खिलाफ कानून, मौका व रिकॉर्ड बुद्धाराम का दत्तक पुत्र असल रेस्पॉडेंट को मानते हुए बेजा तरीक पर एकपक्षीय तरीक पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत एवं माननीय राजस्थान उच्च

TS

जीपीवाल